न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/35

1. अजोध्या बाई पत्नी श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामस्वरूप पुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. ब्राह्मानन्द पुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. आशा राम पुत्र श्योजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. हंसराज पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. राजकुमार पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. ममता पुत्री केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. पूजा पुत्री केसरा जरिये संरक्षक भाई हंसराज जाति मीणा निवासी ग्राम देई, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. धनराज पुत्र सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. सत्यनारायण पुत्र सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
8. रामसागर पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. फूला पुत्री सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. भूरी पुत्री सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. मथरी पुत्री सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. सन्तोषी पुत्री सुखपाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. गीता बाई पत्नी रामसागर जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. शिमला पत्नी मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. प्रहलाद पुत्र बजरंग लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
16. जगदीश पुत्र बजरंग लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
17. गीताराम पुत्र रामरतन जरिये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
18. त्रिलोक पुत्र रामरतन जरिये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
19. पार्वती पुत्र रामरनत जरिये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

20. लक्ष्मी पुत्री रामरतन जरिये संरक्षक माता कमला जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
21. कमला पत्नी रामरतन जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
22. मोजीराम पुत्र गिर्राज जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
23. गणेश पुत्र गिर्राज जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
24. मीना पुत्री लोडक्या जाति मीणा निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
25. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01, 06, 07 एवं 15 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 26.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) एवं धारा 188 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 1469 खसरा नम्बर 3993 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्राम देई से मेंटकपुरा जाने वाले आम रास्ते से कटकर खसरा नम्बर 3940 से सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 3944 व 3943 के बीच की मेड पर होता खसरा नम्बर 3981 व 4016 के बीच की मेड पर होता हुआ 3984, 3985, 3991, 3992 की दक्षिणी मेड पर होता हुआ वादी के खातेदारी की भूमि पर पहुंचता है । उक्त रास्ता वर्तमान में 14–15 फिट चौडा है । इस रास्ते को परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गयया है । यह रास्ता सैकडों वर्षों से चला आ रहा है । इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता वादी के खेतों में पहुंचने का नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 में वर्णित एवं परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वे प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट देई में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 26.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उनके खाते की आराजी खाता संख्या 1469 के खसरा नम्बर 3993 रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए खसरा नम्बर 3981 में से 132 फीट * 15 फीट = 1980 वर्गफीट = 0.0128 हैक्टर, खसरा नम्बर 3984 में से रकबा 211 फीट * 15 फीट = 3165 वर्गफीट = 0.0294 हैक्टर, खसरा नम्बर 2985 में से 224 फीट * 15 फीट = 3360 वर्गफीट = 0.0312 हैक्टर, खसरा नम्बर 3991 में से रकबा 165 फीट * 15 फीट = 2475 वर्गफीट = 0.0230 हैक्टर, खसरा नम्बर 3992 में से रकबा 198 फीट * 15 फीट = 2970 वर्गफीट = 0.0276 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 4823/3993 में से रकबा 92 फीट * 15 फीट = 1380 वर्गफीट = 0.0128 हैक्टर भूमि जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से प्रदर्शित किया हुआ है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को कौर्ट कैम्प में ले जाकर एकपक्षीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त निर्णय पारित किया गया है। परीक्षण न्यायालय में पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट में चल रही थी और उसी दौराने उसे कोर्ट कैम्प में रखते हुए अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है क्योंकि अपीलान्ट को उक्त पत्रावली कैम्प में निर्णय करने हेतु ले जाने की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.11.2021 को अपने अभिभाषक से मिले तो उनके द्वारा जानकारी दी की गई कि दिनांक 26.11.2021 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णय पारित कर दिया । दिनांक 29.11.2021 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया और दिनांक 05.01.202 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये । अपीलान्टगण को जानकारी प्राप्त होने पर जरिये अभिभाषक वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं कार्यवाही के दौरान अपना जवाब प्रस्तुत किया । पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट तहसील में नियत चल रही थी उसके बाद पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने से रूटीन पेशियॉ नियत की जाती रही, परन्तु पत्रावली में आगामी पेशी पर पत्रावली को कैम्प में ले गये और दिनांक 26.11.2021 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट में नियत था । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट आने पर ही आपत्ति व दस्तावेज प्रस्तुत किया जाकर पूर्व के रास्ते की स्थिति का अवलोकन कर दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करना था परन्तु रेस्पोडेन्ट के धारा 251 (क) एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र जिसमें याचना चाही गई थी कि रास्ता बहाल करने, रास्ता चौडा करने एवं रास्ता घोषित करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई थी, जबकि इस तरह के प्रार्थना पत्र में जब तक पूर्व में आने–जाने का रास्ता मौजूद हो या कोई वैकल्पिक रास्ता हो, या सबसे नजदीक सुलभ रास्ता हो, इन सब तथ्यों का निर्धारण भली–भांति किया जाना आवश्यक है । उक्त प्रार्थना पत्र में भी रेस्पोडेन्ट कम 01 के लिए पूर्व से ही पक्का रास्ता सुलभ रहा है जो मैन रोड से लिंक है मात्र 50–60 फीट दूरी पर पगडन्डी है जिससे होकर रेस्पोडेन्ट कम 01 हमेशा से ही आज तक आ–जा रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने पूर्व में रास्ता होने के तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है । वर्तमान रास्ता होते हुए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाइ जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे थे और उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प में उपस्थित होने के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किये थे जो उन्हें तामील हुए हैं । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नैनवा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) एवं धारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र पेश किया था परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल धारा 251 (क) पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित कर दिया । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने धारा 251 (क) के साथ धारा 188 का भी वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण में धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया हुआ था तो परीक्षण न्यायालय को सीपीसी की पालना करते हुए पक्षकारान को प्रोपर नोटिस तामील कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट हेतु जो नोटिस जारी किये थे वो प्रोपर तामील हुए या नहीं ? इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से भी स्पष्ट नहीं है कि कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत् पक्षकारान को नोटिस तामील हुए हैं । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा